न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास श्री रोहिताश्व सिंह तोमर, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 03/2026

प्रार्थी

सरकार जरिए प्रवर्तन अधिकारी, सिरोही जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी

श्री गजेन्द्रसिंह पुत्र श्री चन्दनसिंह निवासी लोटीवाडा तहसील शिवगंज जिला सिरोही प्रो. शिव शक्ति ढाबा, जावाल।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. सहायक अभियोजन अधिकारी, सिरोही, प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

निर्णय **दिनांक 14.05.2026**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 25.02.2026 को श्री विनोद परमार, प्रवर्तन अधिकारी सिरोही द्वारा शिव शक्ति ढाबा, जावाल जिला सिरोही की आकस्मिक जांच करने पहुंचने पर वहां पर दो घरेलू सिलेण्डर मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी के साथ जुडे हुए पाए गए। उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ करने से उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों को कब्जे सरकार लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया था।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अप्रार्थी स्वयं के द्वारा उपस्थिति दी गई, परन्तु जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः प्रकरण में दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी सिरोही एवं अप्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 25.02.2026 को श्री विनोद परमार, प्रवर्तन अधिकारी सिरोही द्वारा शिव शक्ति ढाबा, जावाल जिला सिरोही की आकस्मिक जांच करने पहुंचने पर वहां पर दो घरेलू सिलेण्डर मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी के साथ जुडे हुए पाए गए, जिनका उपयोग प्रतिष्ठान पर खाना बनाने (व्यावसायिक) का कार्य किया जा रहा था। इस प्रकार मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ करने से अप्रार्थी द्वारा केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध होने से निरीक्षण दल द्वारा उक्त दोनों घरेलू गैस सिलेण्डरों को

......पेज नं. 02

जिला कलेक्टर, सिरोही

कब्जे सरकार लिया गया है। अतः कब्जे सरकार लिये गये गैस सिलेण्डरों को जब्त सरकार किया जावे।

अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि अप्रार्थी के घरेलू सिलेण्डर खाली होने से अप्रार्थी द्वारा उक्त दोनों सिलेण्डरों को रिफिल कराने हेतु अपनी दुकान पर रखा हुआ था, परन्तु प्रार्थी द्वारा उक्त सिलेण्डरों को व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बताकर गलत रूप से जब्त किया गया है। यह है कि उक्त सिलेण्डरों को जब्त किए जाने से अप्रार्थी के पास अन्य कोई सिलेण्डर नहीं होने से घर पर खाने बनाने में समस्या हो रही है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना फरमाकर जब्तशुदा सिलेण्डरों को लौटाए जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण में उभय पक्ष की सुनी गई बहस एवं न्यायालय पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त निष्कर्ष इस प्रकार है कि अप्रार्थी द्वारा दो 14.2 किग्रा. घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ व्यवसाय में किया जाने से केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है। मौके पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के प्रतिष्ठान की जांच करने पर दो घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग प्रतिष्ठान पर खाना इत्यादि बनाने का कार्य व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किया जा रहा था। घरेलू गैस सिलेण्डरों का प्रतिष्ठान पर खाना इत्यादि बनाने का कार्य किया जाना वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी से उक्त सिलेण्डरों के बारे में पूछा तो अप्रार्थी कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाने से निरीक्षण दल द्वारा उक्त सिलेण्डरों को कब्जे सरकार लिया गया है। अप्रार्थी द्वारा कथन किया गया है कि अप्रार्थी के घरेलू सिलेण्डर खाली होने से अप्रार्थी द्वारा उक्त दोनों सिलेण्डरों को रिफिल कराने हेतु अपनी दुकान पर रखा हुआ था, परन्तु प्रार्थी द्वारा उक्त सिलेण्डरों को व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बताकर गलत रूप से जब्त किया गया है। इस सम्बन्ध में मौके की फोटो के अवलोकन से यह पाया जाता है कि कब्जे सरकार लिए गए सिलेण्डर जिस ढाबे से जब्त किए गए है, उस ढाबे पर खाना इत्यादि बनाने का कार्य किया जा रहा था एवं अप्राथी द्वारा परिसर को खाना इत्यादि बनाने के उपयोग में लिया जा रहा था, जो कि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ की श्रेणी में आता है, जिससे यह प्रतीत होता है कि ढाबे में रखी हुई सामग्री भी व्यावसायिक प्रयोजनार्थ ही काम में ली जा रही थी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी द्वारा कब्जे सरकार लिए गए गैस सिलेण्डरों की गैस डायरी भी प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे यह साबित हो कि उक्त घरेलू सिलेण्डर अप्रार्थी स्वयं के थे। चूंकि कब्जे सरकार लिए गए सिलेण्डर घरेलू उपयोग में लिए जाते है परन्तु शिव शक्ति ढाबा, जावाल जिला सिरोही के पास घरेलू गैस सिलेण्डर पाए जाना एवं उस पर वक्त निरीक्षण खाना बनाने का कार्य किए जाने से स्पष्ट है कि उक्त गैस सिलेण्डरों का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ ही किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग अनाधिकृत रूप से किया जाने से केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लघंन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है।

जिला कलेक्टर, सिरोही

......पेज नं. 03

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिए गए दोनों घरेलू गैस सिलेण्डरों को जब्त सरकार किया जाना उचित प्रतीत होने से कब्जे सरकार लिये गये दो घरेलू गैस सिलेण्डर को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है।

जिला रसद अधिकारी, सिरोही कब्जे सरकार लिए गए दोनों गैस सिलेण्डरों में भरी हुई गैस को नियमानुसार निर्धारित दर पर बेचान कर खाली सिलेण्डर सम्बन्धित गैस कम्पनी को सुपुर्द कर प्राप्त राशि राजकोष के उचित लेखा मद में जमा कराने की कार्यवाही करे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, सिरोही